पंचायत निगरानी संख्या : 296/2024
उनवान : पंखु देवी बनाम बाबुड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 296/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/452

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
श्रीमती पंखु देवी पुत्री स्व. श्री चुन्नीलाल पत्नी मदनलाल जाति घांची, निवासी घाचियों का वास, ग्राम चाणौद, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.	बनाम	1. श्रीमती बाबुड़ी पत्नी श्री गणेशराम, जाति राईका(देवासी) निवासी देवासियों का वास, पाबुजी मंदिर के सामने, ग्राम चाणौद, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज. 2. ग्राम पंचायत चाणौद जरिये सरपंच, पंचायत समिति व तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत आदेश व प्रस्ताव (संकल्प) संख्या 02 दिनांक 05.11.2019 द्वारा विक्रय विलेख (पट्टा) संख्या 35 जरिये मिसल संख्या 44/2019–20 के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी, हेमन्त कुमार बोहरा।

–:निर्णय:–

दिनांक: 26.08.2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत चाणौद के आदेश व प्रस्ताव (संकल्प) संख्या 02 दिनांक 05.11.2019 द्वारा विक्रय विलेख (पट्टा) संख्या 35 जरिये मिसल संख्या 44/2019–20 के अप्रार्थीगण संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया है, उसे निरस्त करवाने बाबत पेश की गई। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि:–

1. यह कि, पंचायत जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव एवं जारी विक्रय विलेख पट्टा संख्या 35 की कार्यवाही विधि एवं तथ्यों के विपरित बिना रिकॉर्ड व कब्जे के विपरित केवल मात्र कागजी कार्यवाही का होने से प्रथमदृष्टया साक्ष्य के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि पंचायत जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव पारित करने से पूर्व प्रार्थीया एवं उसके परिवार के सदस्यों को किसी भी रुप से नहीं सुना गया, जिससे ऐसा आदेश व प्रस्ताव न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरित पारित होने से काबिल खारिज योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 296 / 2024

उनवान : पंखु देवी बनाम बाबुड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

3. यह है कि पंचायत जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव से जारीशुदा पट्टा भूमि सहित शेष अन्य भूमि जो प्रार्थीया के कब्जे में है वह प्रार्थीया के स्व. पिता चुन्नीलाल व स्व. काका उदाराम पुत्रगण अन्नाजी, कौम घांची के कब्जे एवं उपयोग उपभोग की आई हुई स्थित थी। प्रार्थीया के पिता की मृत्यू काका उदाराम के जीवनकाल में हो गई थी तथा उदाराम के कोई जायन्दा सन्तान नहीं होने से प्रार्थीया व उसका भाई शंकरलाल ही उदाराम जी की सेवा चाकरी करते रहे है। उदाराम ही परिवार के मुखिया होने से प्रार्थीया के पिता व स्वयं की चल व अचल सम्पतियों की देख–रेख करते रहे है। प्रार्थीया के काका उदाराम ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 01 के पति गणेशराम को, पश्चिम–दक्षिण दिशा की तरफ से लम्बाई में 30 फीट व चौड़ाई में 12 फीट यानि 360 वर्गफीट भूमि जिस पर कच्ची पोल व कमरा बना हुआ था, को अपने स्व. भाई चुन्नीलाल के वारिसान के रखते हुए शेष भूमि का बेचाण किया गया था। परन्तु गणेशराम ने विधि विरुद्ध ग्राम पंचायत से मिलावट कर प्रार्थीया के हक हिस्से व कब्जे की भूमि का आंशिक भाग व पूर्वी दिशा की तरफ से रास्ते की भूमि को गैर नाजायज तरीके से कब्जे के विपरित अपनी पट्टाशुदा भूमि में सम्मिलित करवाया है। ऐसी स्थिति में कब्जे के विपरित जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव से अपनी पत्नि के नाम पट्टा जारी करवाया गया है वह विधि विरुद्ध व कब्जे के विपरित होने से काबिल खारिज योग्य है।

4. यह है कि पट्टाशुदा विवादित भूमि के दक्षिण–पश्चिम दिशा की तरफ प्रार्थीया के बंट एवं हक–हिस्से व कब्जे की कच्ची पोल व कमरा बनाप 30 फीट बाई 12 फीट यानि 360 वर्गफीट की भूमि आई हुई स्थित है जिसपर प्रार्थीया के भाई शंकरलाल के नाम विद्युत व जल कनेक्शन प्राप्त कर रखे थे। विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता नहीं रहने से वर्तमान में वह विच्छेद कर रखा है। परन्तु जल कनेक्शन आज भी मौके पर स्थापित है। साक्ष्य में बिल की प्रतियां पेश है। इस तरफ प्रार्थीया के काका उदाराम द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पति गणेशराम को बेचाणशुदा भाग व प्रार्थीया के बंट, हक हिस्से, कब्जा एवं उपयोग–उपभोग भाग का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है जो प्रार्थना पत्र का भाग व अंग समझा जाए।

यह है कि पंचायत जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव के जरिये जारी पट्टा भूमि प्रथमतः अप्रार्थी संख्या 01 के पति गणेशाराम द्वारा प्रार्थीया के काका उदाराम से खरीदशुदा है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 की पुश्तैनी व 50 वर्षों पुरानी कब्जे व उपयोग–उपभोग की कतई नहीं रही है। जिससे पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारीशुदा पट्टा व आदेश व प्रस्ताव प्रथम दृष्टया ही विधि विरुद्ध होने से काबिल खारिज योग्य है।

6. यह है कि विवादित पट्टा भूमि पर गणेशराम द्वारा निर्माण कार्य करवाते समय प्रार्थीया के काका उदाराम ने आपसी विवाद नहीं हो उसके लिए एक याददास्ती के रुप में आपसी लिखत दिनांक 12.02.2015 को निष्पादित किया था उसमें भी प्रार्थीया के बंट एवं हिस्से की पोल की लम्बाई 30 फीट व चौडाई 12 फीट का स्पष्ट रुप से अंकन किया गया है और उस लिखत पर गणेशराम के हस्ताक्षर भी किये हुए है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 01 के पति द्वारा ग्राम पंचायत के साथ मिलावट करते हुए प्रार्थीया के कब्जे एवं उसके उपयोग–उपभोग की भूमि को सम्मिलित करते हुए मौके के विपरित पट्टा जारी किया गया है जो काबि खारिज योग्य है।

7. यह है कि जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव से जारी पट्टा की कार्यवाही के दौरान पंचायती राज के नियम 145 से 149 के तहत निष्पादित होने वाली कार्यवाहियां का किसी भी रुप से पालन नहीं हुआ है अर्थात् पट्टा प्राप्त सम्बन्धित मिसल पत्रावली के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि तमाम कार्यवाहियां कम्प्यूटर परफॉर्मा में खानापूर्ति कर विधि विरुद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 01 को फायदा पहूँचाने की नियत से एक ही दिन में कार्यालय में बैठकर पूर्ण की गई है। जैसे मिसल पत्रावली के अवलोकन से त्रुटियां मौटे तौर पर इस प्रकार हैः–

- ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 01 से विवादित पट्टा भूमि के सम्बन्ध में कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 296 / 2024

उनवान : पंखु देवी बनाम बाबुड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

- अप्रार्थी संख्या 01 की पट्टाशुदा भूमि पुश्तैनी हो, उसके साक्ष्य में कोई दस्तावेज पेश ग्राम पंचायत ने प्राप्त नहीं किये है।
- नक्शा प्रारुप पर सचिव व उपस्थितगण के हस्ताक्षर नहीं है।
- आक्षेप आमंत्रित नोटीस में क्रम संख्या व दिनांक एवं भूमि का विवरण खाली है।
- स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पर दिनांक सहित मिसल आदेशिका दिनांक 29.09.2019 के तहत मनोनित वार्ड पंच कुल 03 सभी के हस्ताक्षर नहीं है।
- जारी पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर लगी हुई नहीं है।

उपरोक्त महत्वपूर्ण कार्यवाहियां जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव के लिए आवश्यक थी जो संदेहपूर्ण है। जिससे यह प्रथम दृष्टया साबित है कि जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव केवलमात्र अप्रार्थी संख्या 01 को नाजायज फायदा पहूंचानें की नियत से कार्यालय में बैठकर केवल मात्र खानापूर्ति के तौर पर कागजी कार्यवाही कर पूर्ण की गई है जिससे जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव पूर्णतया पंचायती राज नियमों के विपरित पारित होने से खारिज किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

8. यह है कि वर्ष 2023 में बिपरजॉय नामक तुफानी चक्रवात के कारण हुई अतिवृष्टि से प्रार्थीया के कब्जे एवं उपयोग–उपभोग की कच्ची पोल मय कमरा नीचे गिर गये जिससे आज से एक माह पूर्व प्रार्थीया द्वारा उसका पुनः निर्माण कार्य करने हेतु मौके पर नीवं खोदने का कार्य किया जाने लगा तब अप्रार्थी संख्या 01 व उसके पति ने मौके पर आकर प्रार्थीया व उसके पति को धमकी देते हुए नींव खोदने से रोकते हुए विवादित पट्टे की प्रति बताते हुए कहा कि पोल व कमरे की भूमि 27 फीट बाई 11 फीट की है इसलिए आप पुरानी नींव की जगह नई नीवं खौद कर दिवार नहीं बना सकते। जिसके बाद प्रार्थीया ने उक्त पट्टे की ग्राम पंचायत से जानकारी प्राप्त की और सम्बन्धित तमाम नकलें प्राप्त करने हेतु मांग की जो काफी समय बाद उपलब्ध करवाई जाने पर उपलब्ध होते ही अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अवलोकन करवाने पर प्रार्थीया को जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव के जरिये अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में विवादित पट्टा जारी करने की प्रथम बार हुई जानकारी के बाद बिना किसी देरी के यह निगरानी प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

9. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 व उसके पति द्वारा प्रार्थीया के कब्जे व उपयोग–उपभोग की भूमि पर निर्माण नहीं करने देने एवं विवाद उत्पन्न करने से मौके पर आज भी निर्माण नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के हक अधिकार पूर्णरुप से प्रभावित होने से यह निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

10. यह है कि प्रार्थीया के काका उदाराम जी की मृत्यू अविश्वसनिय रुप से होने पर प्रार्थीया का भाई शंकरलाल मानसिक रोग से ग्रस्त हो गया जो आज भी पीड़ित है जिसके चलते उसके व अपने हक अधिकारों की सुरक्षा हेतु यह निगरानी का प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा श्रीमान् के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए आदेश व प्रस्ताव (संकल्प) संख्या 02 दिनांक 05.11.2019 को सीरे से निरस्त फरमावें एवं निगरानी का हर्जा खर्चा प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से दिलाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 01 ने निगरानी याचिका का जवाब पेश कर निवेदन किया किः–

1. पद संख्या 01 गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत चाणौद ने पट्ट संख्या 35 पंचायत राज अधिनियम व नियमों के तहत जारी किया गया है एवं उपरोक्त पट्टा जारी करने में समस्त कार्यवाही पंचायत राज अधिनियम के तहत की गई है।
2. पद संख्या दो गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत चाणौद ने उपरोक्त पट्टा की कार्यवाही से पूर्व काननून नोटिस जारी किये है बाद नोटिस किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर पंचायत राज अधिनियम व नियमों के तहत अप्रार्थी संख्या एक बाबुडी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 296/2024

उनवान : पंखु देवी बनाम बाबुड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत चाणौद ने विधिवत मिसल संख्या 44/2019–20 कायम कर पट्टे की सम्पूर्ण कार्यवाही कर संकल्प संख्या 2 दिनांक 05.11.2019 की अनुपालना में दिनांक 02.12.2019 को अप्रार्थी संख्या एक बाबुडी के पक्ष में उक्त पट्टा जारी किया गया है जो पट्टा कानुनन वैध है। जिसका अप्रार्थी बाबुडी ने उप पंजीयक कार्यालय सुमेरपुर में विधिवत दिनांक 08.01.2020 को अपने पक्ष में रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिसका रजिस्ट्रेशन पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 432 में पृष्ठ संख्या 1 के क्रम संख्या 202003113100183 पर पंजीबद्ध किया गया है।

3. पद संख्या तीन गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत चाणौद ने अप्रार्थीनी संख्या एक बाबुडी का पुश्तैनी रुप से कब्जा होने से विधिवत पंचायत राज अधिनियम व नियमों के तहत अप्रार्थी संख्या एक बाबुडी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या एक बाबुडी का उपरोक्त पट्टा शुदा भूमि पर पूर्व से पक्का निर्माण कार्य किया हुआ था एवं पूर्व के कई वर्षो से लगातार कब्जा व पक्का निर्माण होने से ग्राम पंचायत ने विधिवत मिसल कायम कर पालना कर पंचायत राज अधिनियमों व नियमों के तहत कार्यवाही कर विधिवत कानुनी पालना कर अप्रार्थी संख्या एक बाबुडी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थीनी ने केवल मात्र अप्रार्थी संख्या एक के पट्टाशुदा भूखण्ड को हडप करने के लिये गलत व झूठे तथ्यों के आधार निगरानी पेश की है।

4. पद संख्या चार गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत चाणौद ने जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थीनी संख्या एक बाबुडी के पक्ष में जारी किया गया है वो सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थीनी बाबुडी के कब्जें में है व उस पर अप्रार्थीनी संख्या एक बाबुडी का पूर्व से पुश्तैनी रुप से निर्माण कार्य किया हुआ है एवं उस पर अप्रार्थीनी संख्या एक बाबुडी के पूर्व से जल कनेक्शन व विद्युत कनेक्शन लिये हुए है। शंकरलाल के नाम विद्युत व जल कनेक्शन की बात गलत व सरासर झूठी है। प्रार्थीयां ने उपरोक्त निगरानी के साथ जो नजरी नक्शा स्वयं द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया है वह सरासर झूठा व गलत है।

5. पद संख्या पांच गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत चाणौद ने अप्रार्थी संख्या एक बाबुडी का पुश्तैनी व पीढियों से कब्जा होने व कब्जाशुदा निर्माण शुदा भाग होने से अप्रार्थी संख्या एक बाबुडी के पक्ष में पंचायत राज अधिनियम व नियमों के तहत पट्टा जारी किया है एवं उपरोक्त पट्टाशुदा सम्पूर्ण भाग का आज भी अप्रार्थी संख्या एक बाबुडी उपयोग व उपभोग कर रही है इसलिए उपरोक्त पट्टा ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या एक बाबुडी के पक्ष में नियमों के तहत सही जारी किया है।

6. पद संख्या छः गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या एक बाबुडी के पुश्तैनी व पुराने निर्माणशुदा मकान का पट्टा जारी किया है उपरोक्त पद में प्रार्थीनी ने जिस लिखत का उल्लेख किया है ऐसी लिखत अप्रार्थीनी की जानकारी में नही है प्रार्थीनी ने केवल मात्र गलत व गैर कानूनी ढंग से फायदा लेने के लिये उपरोक्त लिखत का उल्लेख उक्त पद में किया है जो सरासर गलत है।

7. पद संख्या सात गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत चाणौद ने अप्रार्थी संख्या एक बाबुडी के पक्ष में पंचायत राज अधिनियम व नियमों की पालना करते हुए अप्रार्थीनी संख्या एक बाबुडी के पक्ष में पट्टा संख्या 35 जारी करने हेतु पूर्व में मिसल संख्या 44/2019–20 विधिवत रुप से कायम की एवं उपरोक्त मिसल के बाद पंचायत राज नियमों के तहत सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के बाद विधिवत रुप से अप्रार्थीनी संख्या एक बाबुडी के पक्ष में पंचायत राज अधिनियम के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थीनी संख्या एक बाबुडी के पक्ष में पट्टा जारी ग्राम पंचायत में रसीद संख्या 48 के जरिये 200/– जमा कर अप्रार्थी संख्या एक बाबुडी को उक्त पट्टा जारी किया गया है जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त पट्टा अप्रार्थीनी संख्या बाबुडी के पक्ष में जारी करते वक्त कानूनन किसी प्रकार कोई भूल नही की है एवं नियमों के तहत अप्रार्थीनी संख्या बाबुडी के पक्ष में उक्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 296/2024
उनवान : पंखु देवी बनाम बाबुड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

पट्टा कानूनन जारी किया गया है। इसलिए प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त निगरानी प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है।

8. पद संख्या आठ गलत होने से अस्वीकार है। उपरोक्त पद में वर्णित तमाम तथ्य झूठे व गलत है। अप्रार्थीनी बाबुडी के पक्ष में जारी पट्टे की जानकारी प्रार्थीनी व उसके परिवार को पूर्व में कई वर्षो से थी हाल में प्रार्थीनी ने केवल मात्र अप्रार्थीनी से विवाद व झगडा होने पर उपरोक्त पट्टे की गलत तथ्यों के आधार पर उक्त निगरानी श्रीमान के समक्ष म्याद बाहर पेश की है। प्रार्थीनी ने केवल मात्र उपरोक्त निगरानी को म्याद में लाने के लिये गलत व झूठे तथ्यों का उल्लेख कर उक्त निगरानी पेश की है। जो प्रथमदृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीनी ने मर्यादा अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र उपरोक्त निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं किया है जिससे भी प्रार्थीनी की उपरोक्त निगरानी याचिका खारिज योग्य है।
9. पद संख्या 09 गलत होने से अस्वीकार है अप्रार्थीनी का सम्पूर्ण पट्टाशुदा भूमि पर पूर्व से पूर्व से पुश्तैनी रुप से कब्जा है। एवं उसका उपयोग व उपभोग अप्रार्थीनी स्वयं कर रही है।
10. पद संख्या दस गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीनी ने गलत तथ्यों के आधार पर उक्त निगरानी श्रीमान के समक्ष पेश की है। जो प्रथम दृष्टया काबिल खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया की उपरोक्त निगरानी मय खर्चा खारिज फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत चाणौद से तलब किया जाकर शामिल मिसल किया गया एवं प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस याचिका मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूखण्ड के चिपते प्रार्थीपक्ष का 30 X 12 फीट माप की पुश्तैनी भूमि मय कच्ची पोल अवस्थित थी जिसके 3 X 1 फीट हिस्से की भूमि को ज़ेर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख की भूमि में अवैध रुप से सम्मिलित करते हुए आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित किया गया जो काबिल खारिज है। यह भी, कि आलोच्य मिसल संख्या 44/2019-20 में सम्पादित सम्पूर्ण कार्यवाही राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रक्रियात्मक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सम्पादित की गई है जिससे जिसका निगरानी याचिका में पदवार उल्लेख किया गया है। अप्रार्थीया/पट्टाधारी का उक्त भूखण्ड पर पुश्तैनी रहवासी कब्जा न होते हुए भी नियम 157 में पुराने गृह के विनियमितिकरण के रुप में जेर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित किया गया जो प्रथमदृष्टया ही काबिल खारिज है।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या एक ने उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर अप्रार्थीपक्ष का पुश्तैनी कब्जा था, जिसको विधिमान्य मानते हुए तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुए ग्राम पंचायत ने वैधानिक रुप से पट्टा विलेख निष्पादित किया है। आलोच्य भूखण्ड पर मकान निर्मित है अर्थात् अप्रार्थीया का रहवासी कब्जा है तथा बिना किसी ठोस आधार के मात्र काल्पनिक तथ्यों का अंकन करते हुए निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है जिसे खारिज फरमावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थीपक्ष ने हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका में अंकित किया है कि जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड प्रार्थीया के परिवार की पुश्तैनी आराजी थी, जिसे प्रार्थीया के काका उदाराम ने अप्रार्थीया के पति श्री गणेशराम को विक्रय किया था तथा 30 X 12 फीट का हिस्सा

न्यायालय जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 296/2024
उनवान : पंखु देवी बनाम बाबुड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

परिवार के उपयोग–उपभोग हेतु सुरक्षित रखा था, जिस पर पहले कच्चा निर्माण अवस्थित था, जिसके प्रमाणस्वरुप विद्युत/जल बिल याचिका के सलंग्न प्रस्तुत किए गए है। याचिका में अंकन अनुसार प्रार्थीपक्ष के उपयोग–उपभोग की उक्त भूमि बमाप 30 X 12 फीट का आंशिक भाग विक्रय की गई भूमि के आलोच्य पट्टे में अवैधानिक रुप से सम्मिलित करते हुए विक्रीत भूमि का नियम 157 में विनियमितिकरण किया गया, जो वैधानिक रुप से अनुमत नही है। यद्यपि उक्त विक्रय दस्तावेज की प्रति ना तो प्रार्थीपक्ष और न ही अप्रार्थीपक्ष द्वारा ही प्रस्तुत की गई है एवं प्रार्थीया द्वारा इस सम्बन्ध में एक सादे कागज पर अंकित लिखत की प्रति पेश की है, जो पंजीकृत न होने से साक्ष्य के रुप में ग्राह्य नहीं है, किन्तु आलोच्य पट्टा विलेख की पुष्ट पर अंकित नक्शे से प्रथमदृष्टया यह अवश्य दृष्टिगोचर होता है कि प्रश्नगत भूखण्ड की दक्षिण दिशा में प्रार्थीया का उक्त शेष भूखण्ड अवस्थित है एवं अप्रार्थीपक्ष द्वारा भी इसका खण्डन नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीया को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 में 'हितबद्ध व्यक्ति' की श्रेणी में शुमार मानते हुए प्रकरण को गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

प्रार्थीपक्ष द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका के माध्यम से आलोच्य पट्टा विलेख को इस आधार पर भी चुनौति दी है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत मिसल संख्या 44/2019–20 में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में उपबन्धित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में प्रकरण से सम्बन्धित मूल मिसल संख्या 44 एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर का गहनता से अध्ययन अवलोकन किया गया, जिसमें निम्नलिखित तथ्य उभरकर सामने आते हैः–

1. सम्पूर्ण मिसल में पट्टे हेतु कोई आवेदन सलंग्न नही है और न ही आवेदन शूल्क व नक्शा शुल्क जमा होने के प्रमाणस्वरुप कोई रसीद ही सलंग्न है। अप्रार्थीपक्ष भी ऐसा कोई दस्तावेज यथा आवेदन या रसीद की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने में असफल रहे है जिसके आधार पर यह उपधारणा की जा सके कि अप्रार्थीया द्वारा आलोच्य पट्टा बनाने हेतु पूर्वोक्त नियमों के नियम 145 के प्रावधानान्तर्गत निर्धारित शुल्क तथा आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किए थे। अतः यह सिद्ध पाया जाता है कि ग्राम पंचायत चाणौद द्वारा आवेदन एवं निर्धारित शुल्क के अभाव में ही आलोच्य मिसल संख्या 44/2019–20 कायम कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
2. मिसल में उल्लेखित आज्ञा दिनांक 29.09.2019 में आलोच्य भूखण्ड के स्थल निरीक्षण हेतु तीन पंचों का मनोनयन कर आगामी 15 दिवस में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए, किन्तु मिसल संख्या 44 में सलंग्न स्थल निरीक्षण प्रपत्र पर सरपंच के अतिरिक्त मात्र दो व्यक्तियों के ही हस्ताक्षर अंकित है। उक्त स्थल निरीक्षण प्रपत्र पर दिनांक भी अंकित नहीं है और न आवेदक के ही हस्ताक्षर है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 में प्रश्नगत भूमि का विक्रय सम्बन्धि निर्णय लेने से पूर्व तीन पंचों की समिति द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना आज्ञापक है और आलोच्य मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा पूर्वोक्त नियम 146 की पूर्णतः पालना नहीं की गई।
3. मूल मिसल में सलंग्न आक्षेप आमन्त्रित करने के नोटिस पर दिनांक अंकित नहीं है, जिस से यह स्पष्ट नहीं होता है कि एक माह की आपत्ति आमन्त्रण अवधि की गणना कब से प्रारम्भ मानी गई एवं कैसे गणना की गई। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आपत्ति इश्तिहार की पुष्ट पर चस्पानगी की तस्दीक निमित दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर या अगुष्ठ निशान तक अंकित नहीं है, जबकि नियम 148 में ऐसा करना आज्ञापक है जाहिर है कि ग्राम पंचायत चाणौद द्वारा मिसल संख्या 44 में नियम 148 के आज्ञापक उपबन्धों की पालना नहीं की गई।
4. अप्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 35 पर यह अंकित है कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.11.2019 की अनुपालना में जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से तलब बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि बैठक दिनांक 05.11.2019 के संकल्प संख्या 02 में आलोच्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 296/2024
उनवान : पंखु देवी बनाम बाबुड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

मिसल का कहीं कोई अंकन नहीं है अर्थात् ग्राम पंचायत चाणौद द्वारा ज़ेर निगरानी आलोच्य पट्टा जारी करने बाबत् कोई संकल्प पारित ही नहीं किया गया एवं सरपंच द्वारा आलोच्य पट्टे पर काल्पनिक संकल्प का अंकन कर अप्रार्थीया के पक्ष में पट्टा जारी किया गया, जो पूर्णतः अवैध एवं कूटरचित दस्तावेज की श्रेणी में शुमार है।

5. ग्राम पंचायत चाणौद द्वारा प्रेषित मूल मिसल एवं पट्टे के अवलोकन मात्र से प्रार्थी का यह तर्क भी सिद्ध पाया जाता है कि आलोच्य पट्टे से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यवाही में सचिव के कही हस्ताक्षर नहीं है। यहाँ तक कि नक्शा प्रपत्र एवं पट्टे पर भी सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, जो कि नियम 1996 के प्रावधानान्तर्गत आज्ञापक है।

इस प्रकार , यह स्पष्ट है कि आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से नियम 157 में उपबन्धित आज्ञापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई एवं सम्पूर्ण कार्यवाही अकेले सरपंच द्वारा अनाधिकृत ढंग से सम्पादित करते हुए अप्रार्थीया के पक्ष में पट्टा संख्या 35 जारी किया गया, जो विधि की दृष्टि में असंधारणीय एवं शून्यकरणीय दस्तावेज मात्र है।

विचाराधीन पंचायत निगरानी याचिका में प्रार्थीपक्ष द्वारा अंकित अन्य तथ्य, यथा स्व. उदाराम द्वारा आलोच्य भूखण्ड का अप्रार्थीपक्ष को विक्रय तथा अप्रार्थीया के कब्जाशुदा भूखण्ड का आंशिक भाग आलोच्य पट्टा भूमि में सम्मिलित होने बाबत् तथ्यो पर पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में कोई टिप्पणी करना न्यायोचित नहीं है, ऐसा न्यायालय हाजा का विनम्र मत है।

अतः हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चाणौद द्वारा अप्रार्थीया श्रीमती बाबुडी पत्नि श्री गणेशराम के पक्ष में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 35 (मिसल संख्या 44/2019–20) दिनांक 02.12.2019 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय नौ में उपबन्धित प्रावधानों के प्रतिकुल होने से अपास्त किया जाता है। साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत चाणौद को पुनर्प्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते है कि दोनों पक्षो को सुनवाई व दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुतिकरण का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 09 में उपबन्धित प्रक्रियात्मक प्रावधानों की अक्षरशः पालना करते हुए नये सर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चाणौद को यह भी निर्देश दिए जाते है कि अपास्त किए गए जैर निगरानी पट्टा विलेख की मूल प्रति पर लाल स्याही से बड़े–बड़े अक्षरों में 'निरस्त' का अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत को पुनः लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner